

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	17/11/24	<p>पहावली पेश हुई। वकील वादी व स्वयंवादी को सांयकाल 6/11/24 तक बार-बार आवान लगाने के बावजूद धाजरी अदायत नहीं आया न ही वादी की ओर से अन्य कोई पेश्वी करने हेतु धाजरी अदायत आया। अतः दावा अदम धाजरी एवं आम पेश्वी में थारिफ किया जाता है। पहावली का तहसील दायित्व पत्र हो।</p> <p style="text-align: right;">26</p> <p style="text-align: right;">उपस्थित अधिकारी पहावली, पाकसू (जयपुर)</p>